





<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>अहम हुक्म का में जारी</p>
<p>12/2/18</p>	<p>मुद्रणाय उपरा मूल निगरानी के साथ ध्यावली दि. 26/2/2018 को पेश हो।  जति. पिता कलेक्टर, पाली</p>	
<p>26/2/2018</p>	<p>मुद्रणाय उपरा मूल निगरानी के साथ ध्यावली दि. 20/3/2018 को पेश हो।  जति. पिता कलेक्टर, पाली</p>	
<p>20/3/18</p>	<p>मुद्रणाय उपरा मूल निगरानी के साथ ध्यावली दि. 10/4/2018 को पेश हो।  जति. पिता कलेक्टर, पाली</p>	
<p>10/4/18</p>	<p>मुद्रणाय उपरा प्रकरण से संबंधित मूल निगरानी तद्वय में नियत की इस स्थिति में स्थगन प्रा. ध्यावली करने का कोई युक्तियुक्त कारण दर्शित नहीं होने से स्थगन प्रा. ध्यावली शरारित किया जाता है। ध्यावली नमस्त्र से कम लेकर मूल निगरानी के नली हो।  जति. पिता कलेक्टर, पाली</p>	